न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 36/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/289

1. **निर्मला गोदारा पत्नी सुंदर सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 30 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़**

–अपीलार्थी

बनाम

1. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़**

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री मनोहरलाल अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. हस्तगत प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ में दिनांक 24.06.21 को दायर(प्र.सं. 36/2023) हुआ था। पत्रावलियां हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर न्यायालय में दिनांक 26.09.2023 को दायर किया गया। अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 19.03.2021 जिसके द्वारा चक 7 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 293/438 मु.नं. 15 कि.नं. 25 की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये गये हैं से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण सरकार बनाम निर्मला देवी में दिनांक 19.03.2021 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी निर्मला देवी द्वारा चक 7 पीजीएम के प.नं. 293/438 मु.नं. 15 के कि.नं. 25 में बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि पर अवैध निर्माण करने पर अपीलार्थी निर्मला देवी को उक्त भूमि पर मौका की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के नाम की अपीलाधीन कृषि भूमि नगरपालिका अनूपगढ़ के क्षेत्राधिकार की भूमि हैं तथा नगरपालिका की पैराफेरी में स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय पारित किया गया हैं। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर नगरपालिका कानून लागू होता हैं। इस हेतु कार्यवाही क[illegible]ही सक्षम हैं। अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही का कोई अधिका[illegible] ह[illegible]रपालिका क्षेत्र अथवा पेराफेरी में कृषि भूमि के संबंध म[illegible] एवं भू राजस्व अधिनियम के तहत कानूनी रूप से [illegible] के लिए अधिकृत नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त भूमि के भू उपयोग प[illegible] हेतु नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत कर र[illegible]था। अपीलार्थी द्वारा वाणि[illegible] प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण हेतु राशि जमा करवा दी हैं। बिना वाद के धारा 212 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश खारिज करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1981 पेज सं. 4, आरआरटी 2003(2) पेज सं. 1077, आरएलडब्ल्यू 1998(1)राज. पेज सं. 562 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रत्यर्थी अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि का बिना सक्षम अधिकारी से भूमि रूपान्तरण आदेश प्राप्त किए अकृषि प्रयोग कर भूमि पर अवैद्य निर्माण करते हुए काश्तकारी शर्तों का उल्लंघन किया हैं। इस पर कार्यवाही करने के लिए प्रत्यर्थी सक्षम हैं। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही राज.काश्त.अधि. की धारा 212 सपठित धारा 90क एवं आदेश 39 नियम 1क सीपीसी के तहत करते हुए राज्यहित में अपीलार्थी को कृषि भूमि पर मौका की यथास्थिति बनाएं रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया गया हैं। आलौच्य आदेश विधि सम्मत हैं। प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। प्रत्यर्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र कृष्णलाल अरोड़ा के प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि अपीलार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाए भूमि का अकृषि प्रयोग निर्माण किये जाने के कारण अपने आदेश दिनांक 19.03.2021 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के मौका की यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपनी अपील में यह अंकित किया हैं कि आलौच्य आदेश अपीलार्थी बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं। प्रत्यर्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि राज्य हित में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम आदेश पारित किया गया हैं प्रकरण में अभी तक निर्णय अंतिम नहीं हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रकरण में अभी अंतिम निर्णय होना शेष हैं। अपीलार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया हैं कि भूमि नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार आलौच्य आदेश में दर्ज भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि का बिना अनुमति कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग किये जाने के आधार पर कार्यवाही गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि संपरिवर्तन करवाए जाने हेतु जमा करवाई गयी राशि की रसीद, नगरपालिका का डिमाण्ड नोटिस तथा आपत्ति सूचना दिनांक 08.04.2021 के है परन्तु प्रकरण में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 19.03.2021 का हैं। अपीलार्थी के द्वारा आज दिनांक तक प्रकरण में धारा 90क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूमि संपरिवर्तन आदेश प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिससे यह स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी के द्वारा आज भी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही विधिसम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता किया जाता हैं कि वे मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.04.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.03.24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:39 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़